न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 106 / 2024
जी.सी.एम.एस नं. : 2024 / 124

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री लोकेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री महेश उपाध्याय निवासी मकान नं. 1, प्रगति नगर कॉलेज रोड, बांसवाडा, (विक्रेता / मालिक) मैसर्स – विनायक होटल, महाराणा प्रताप सर्कल, उदयपुर रोड, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 05–05–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेदमल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **14–11–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **06–08–2024** को 2.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स विनायक होटल, महाराणा प्रताप सर्कल, उदयपुर रोड, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री लोकेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री महेश उपाध्याय** उपस्थित थे। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स विनायक होटल, महाराणा प्रताप सर्कल, उदयपुर रोड, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) एक स्टील की ट्रे में 4 किलोग्राम** रखा पाया। जो मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) 1 किग्रा** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 390 / – रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) 1 किग्रा को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारो में प्रीजरवेटिव फार्मेलिन की 20 बूंदे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1885** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/427 दिनांक 05–09–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 963 दिनांक 29–08–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पनीर (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1885** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ पनीर (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 14–11–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

05–05–2025 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाकर न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/427 दिनांक 05–09–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 963 दिनांक 29–08–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पनीर (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1885** Substandard food under section 3(1)(zx) of food

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)

Scanned with OKEN Scanner

safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard **खाद्य पदार्थ पनीर (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री लोकेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री महेश उपाध्याय निवासी मकान नं. 1, प्रगति नगर कॉलेज रोड, बांसवाडा, (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स – विनायक होटल, महाराणा प्रताप सर्कल, उदयपुर रोड, बांसवाडा (राज.) को 5000/– (अक्षरे रू पांच हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 05–05–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner